सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 607 राँची, गुरुवार, 30 आषाढ़, 1938 (श०) / 21 जुलाई, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई, 2016

संख्या-एल०जी०-15/2016-131/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश, जिस पर राज्यपाल दिनांक 20 जुलाई, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

कोर्ट-फी (झारखण्ड संशोधन) अध्यादेश, 2016

(झारखण्ड अध्यादेश-05,2016)

प्रस्तावना - चूँकि झारखण्ड-राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण दि कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है । इसलिए अब, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड-1 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन प्रख्यापित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ :- (1) यह अधिनियम

"दि कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अध्यादेश, 2016" कहा जा सकेगा ।

2. इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

3. यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

4. दि कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा-20 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है ।

राँची, **द्रौपदी मुर्मू,**

दिनांकः20 जुलाई, 2016 **झारखण्ड राज्यपाल**

भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड (1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया ।

राँची, **द्रौपदी मुर्मू ,**
दिनांकः- 20 जुलाई, 2016 **झारखण्ड राज्यपाल**

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई, 2016

संख्या-एल० जी०-15/2016-132/लेज०--झारखण्ड राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2016 को प्रख्यापित कोर्ट-फी (झारखण्ड संशोधन) अध्यादेश, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

The Court-Fees (Jharkhand Amendment) Ordinance, 2016

(Jharkhand Ordinance-05,2016)

TO AMEND THE Court-Fees ACT, 1870.

As it has become obvious to the Governor of Jharkhand that situation has come in which amendment in The Court-fees Act, 1870 has become necessary, hence, in exercise of the powers conferred by Article-213 (1) of the Constitution of India, Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance :-

1. This Ordinance may be called "The Court-Fees (Jharkhand Amendment) Ordinance,2016"
2. It extends to the whole of the State of Jharkhand.
3. It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
4. The Section-20 of The Court Fee Act, 1870 is hereby repealed.

Ranchi,
Dated: 20 July, 2016

Droupadi Murmu,
Governor of Jharkhand

Under Article 213 Clause (1) of the Constitution of India, this Ordinance is promulgated my me.

Ranchi, **Droupadi Murmu,**
Dated: 20 July,2016 Governor of Jharkhand

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 607–50 ।